दूरभाष : 0135–2719500

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण

राजीव गाँधी बहुउद्देश्यीय कॉम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून, उत्तराखण्ड

e-mail– uhudauk@gmail.com फैक्स : 0135–2719500

पत्रांक:–112 / उडा–109 / EDB / 2016–17 दिनांक: 29 .06.2016

प्रेषक,

मुख्य प्रशासक,
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण,
देहरादून, उत्तराखण्ड।

सेवा में,

सचिव,
आवास,
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

विषयः भवन निर्माण एवं विकास उपविधि–2011 (संशोधन–2015) में संशोधन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या 837 / V–2–2016–127(आ0) / 15–टी0सी0 दिनांक 03 जून, 2016 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरणों में भारत सरकार के Ease of Doing Business कार्यक्रम के तहत मानचित्र स्वीकृति का सरलीकरण, वास्तुविद, अभियन्ता के पंजीकरण की व्यवस्था, तृतीय पक्ष के द्वारा निमार्णाधीन भवन का निरीक्षण कराने, पूर्णता प्रमाण–पत्र निर्गत करने हेतु पंजीकृत Structural Engineer को अधिकृत करने एवं मानचित्र स्वीकृति से पूर्व संयुक्त स्थलीय निरीक्षण आदि की व्यवस्था से सम्बन्धित संलग्न प्राविधानुसार, भवन निर्माण विकास उपविधि / विनियम, 2011(संशोधन–2015) में संशोधनों को लागू किये जाने हेतु यथावश्कतानुसार प्राधिकरण बोर्ड की संस्तुति सहित अंगीकृत करने हेतु निर्देश किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त प्रस्ताव प्राधिकरण द्वारा अंगीकृत किया गया है। उक्त व्यवस्था को लागू किये जाने हेतु कार्यालय आदेश जारी कर दिया गया है, जिसकी प्रति शासन के संज्ञानार्थ प्रेषित की जा रही है।

संलग्न– यथोपरि।

भवदीय

O/c **(आर0 मीनाक्षी सुन्दरम्)**
मुख्य प्रशासक